तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/7/2024	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली मुल्तवी होकर दिनांक 6/8/24 को पेश हो।
6/8/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7/9/24 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी
7/9/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार बावड़ी से जवाब प्रार्थना पत्र पूर्व में प्राप्त व शामिल मिसल। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम गंगाणी पटवार हल्का गंगाणी तहसील बावड़ी के खसरा सं. 380/12 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थी का कब्जा काश्त एवं खातेदारी है। तहसील बावड़ी के डीआईएलआरएमपी प्रोग्राम के तहत राज्य सरकार के कार्यक्रम अनुसार तहसील बावड़ी का रेकर्ड ऑनलाईन किये जाने के दौरान प्रार्थी के

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हिस्से की भूमि को मूल खसरा सं. 380 में सम्मिलित कर तरमीम कर दी गई तथा प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि को खसरा सं. 2757/380 में सम्मिलित कर प्रार्थी का हिस्सा 4/239 दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी के हिस्से की भूमि की तरमीम पूर्व में की जा चुकी है तथा प्रार्थी एकल खातेदार है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन कर निवेदन किया कि प्रार्थी के हिस्से की कब्जाकाश्त खातेदारीशुदा भूमि को ~~पुन~~: तहसीलदार बावड़ी की मौका जॉच रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुद्धि का आदेश फरमावें। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुना गया तथा पत्रावली एवं तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। बाद अध्ययन अवलोकन एवं बहस मनन के प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बावड़ी को आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका जॉच अनुसार तरमीम शुद्धिकरण बाबत आराजी ग्राम मंगाणी के खसरा सं. 2757/380 को संशोधित कर ~~खसरा~~ सं. प्रार्थी के खसरा सं. 380/12 की तरमीम कर राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे में अमलदरामद करें। तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट इस आदेश का भाग रहेगी। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, [illegible]